न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

(1) राजस्व अपील संख्या : 50/2024

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. मदनलाल उर्फ मादाराम पुत्र श्री भाकरराम जाति विश्नोई निवासी जोलियाली तहसील व जिला जोधपुर		1. चैनाराम पुत्र श्री जेठाराम के का.मुकाम 1/1-श्रीमती राजादेवी पत्नि स्व.श्री चेनाराम 2. मदाराम पुत्र श्री जेठाराम 3. नेनाराम पुत्र श्री जेठाराम 4. लाबुराम पुत्र श्री जेठाराम जातियान जाट निवासीगण-लेगों की ढाणी बम्बोर दर्जियान तहसील व जिला जोधपुर 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

(2) राजस्व अपील संख्या : 51/2024

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. सुरजाराम पुत्र श्री शोभाराम जाति विश्नोई निवासी जोलियाली तहसील व जिला जोधपुर		1. चैनाराम पुत्र श्री जेठाराम के का.मुकाम 1/1-श्रीमती राजादेवी पत्नि स्व.श्री चेनाराम 2. मदाराम पुत्र श्री जेठाराम 3. नेनाराम पुत्र श्री जेठाराम 4. लाबुराम पुत्र श्री जेठाराम जातियान जाट निवासीगण-लेगों की ढाणी बम्बोर दर्जियान तहसील व जिला जोधपुर 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 584 दिनांक 09.07.2020 ग्राम बम्बोर दर्जियान जो नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति:- 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भीखाराम विश्नोई उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्टस संख्या 1/1, 02 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री एम.आर.चौधरी उपस्थित।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

निर्णय

दिनांक: 15.04.2025

उक्त दोनों अपीले अपीलान्ट श्री मदनलाल उर्फ मादाराम पुत्र श्री भाकरराम जाति विश्नोई निवासी जोलियाली तहसील व जिला जोधपुर तथा सुरजाराम पुत्र श्री शोभाराम जाति विश्नोई निवासी जोलियाली तहसील व जिला जोधपुर की ओर से अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट चैनाराम पुत्र श्री जेठाराम के कायम मुकाम श्रीमती राजादेवी पत्नि स्व.श्री चेनाराम जाति जाट निवासी लेगों की ढाणी, बम्बोर दर्जियान तहसील व जिला जोधपुर व अन्य के विरूद्ध नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 09.07.2020 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 584 ग्राम बम्बोर दर्जियान को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned by CamScanner

उक्त दोनों अपीलों में दोनों अपीलार्थीगण ने एक ही अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 584 ग्राम बम्बोर दर्जियान को निरस्त किया जाने हेतु अपील अलग अलग प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त दोनों अपीलों में रेस्पोडेन्टस व अपीलों में वर्णित तथ्य एवं आधार एक समान होने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों अपीलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बम्बोर दर्जियान तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 42 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पिता श्री जेठाराम पुत्र रामाराम के खातेदारी की आई हुई थी। उक्त भूमि में से एक कृषि चक के रूप में बनाप 30 x 100 = 3000 वर्गफुट यानि 03.9 बिस्वा कृषि भूमि को अपीलार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पिता श्री जेठाराम से खरीद की, जो बेचाननामा का दरतावेज पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक (द्वितीय), जोधपुर में दिनांक 16.04.2001 को पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 264, पृष्ठ संख्या 24, क्रम संख्या 1359 पर पंजीबद्धसुदा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पिता श्री जेठाराम ने अपने जीवनकाल में अलग-अलग बेचाननामों के द्वारा रकबा 08 बीघा 03.9 बिस्वा कृषि भूमि का बेचान कर दिया है, जिनका नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पिता श्री जेठाराम के स्वर्गवास के पश्चात् प्रत्यर्थीगण को श्री जेठाराम द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलार्थी को बेचान की गई 03.09 बिस्वा कृषि भूमि की जानकारी होने के बावजूद भी फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 584 स्वीकृत करवाते समय अपीलार्थी की खरीदसुदा भूमि को भी प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 ने अपने नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया जिससे व्यथित होकर तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में भारी विधिक और तथ्यात्मक त्रुटि करने, अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पिता श्री जेठाराम से खसरा नम्बर 42 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा में से रकबा 3.09 बिस्वा कृषि भूमि को कृषि चक के रूप में विधिवत् रजिस्टर्ड बेचाननामा के दिनांक 16.04.2001 को खरीद करने तथा इसके पश्चात् जेठाराम द्वारा अपने जीवनकाल में इस खसरा नम्बर 42 में शेष रही रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि को अलग-अलग बेचाननामों के अन्यत्र बेचान हस्तान्तरण कर देने, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पिता श्री जेठाराम के पास उनके जीवनकाल में उक्त खसरा नम्बर 42 में किसी प्रकार की कोई जमीन शेष नही रही, जिसकी प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 को बखूबी जानकारी होने के बावजूद भी श्री जेठाराम के स्वर्गवास के पश्चात् गलत रूप से फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 584 स्वीकृत करवा लेने तथा जिसमें अपीलार्थी की खरीदसुदा भूमि को अपने नाम से राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज करवा देने, अपीलार्थी एक सद्भाविक क्रेता है तथा मौके पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त होने पर भी आलौच्य नामान्तरकरण अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बाले-बाले राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर दर्ज करवाने आदि आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 09.07.2020 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 584 ग्राम बम्बोर दर्जियान को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया है।

अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भीखाराम विश्नोई ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 09.07.2020 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 584 ग्राम बम्बोर दर्जियान को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेंट संख्या 1/1, 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया कि अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी नामान्तरकरण की दिनांक से ही थी परन्तु अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टस के पिता के देहान्त के पश्चात रेस्पोडेन्टस द्वारा नियमानुसार अपना नाम अपने पिता की जगह जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करवाया गया उसके पश्चात अपीलान्ट ने मौजूदा अपील पेश की गई जो खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा यदि कोई जमीन खरीद की गयी होती तो उसका नामान्तरकरण करने की कार्यवाही बेचानानामा निष्पादित होने के तुरन्त बाद अपना नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाते किन्तु मौजूदा अपील में नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की गई है। मौजूदा अपील में कथित बेचाननामा निष्पादित होने के 20 वर्षो पश्चात मौजूदा अपील व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट के हक में कोई बेचाननामा निष्पादित किया होता तो अपीलान्ट करीब 20 वर्षो तक इन्तजार क्यो करते रहे इसका कोई कारण अपीलान्ट ने मौजूदा प्रार्थना पत्र व अपील में नहीं दर्शाया है। इसके अलावा अपीलान्ट ने मौजूदा अपील से पूर्व सक्षम अधिकारी के यहां नामान्तरकरण दर्ज करवाने की कोई कार्यवाही की हो ऐसा कोई प्रार्थना पत्र या सक्षम अधिकारी का कोई आदेश पत्रावली पर पेश नहीं किया है, इसलिए अपीलान्ट का मौजूदा प्रार्थना पत्र मय अपील खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट ने

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

Scanned by CamScanner

ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि नामान्तरकरण के लिये कोई प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के यहा दिया हो और वह खारिज कर दिया हो। यह भी गलत है कि अपीलान्ट द्वारा अपनी कथित खरीदसुदा भूमि 2 बिस्वा का कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तररण हेतु संबंधित निकाय में आवेदन करने हेतु राजस्व जमाबन्दी व नामान्तरकरण की नकल दिनांक 03.08.2021 को प्राप्त होने पर प्रथम बार आलौच्य नामान्तरकरण की जानकारी होने पर अपील अन्दर म्याद पेश हो। अपीलान्ट ने तमाम तथ्य झूठे बेबुनियाद व झूठे अंकित किये है इसलिये अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित कथन माने जाने योग्य नहीं होने एवं दोनों अपीले मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है।

रेस्पोडेंट संख्या 1/1 व 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री एम.आर.चौधरी ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम बम्बोर दर्जियान के उक्त खसरा संख्या 42 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 व 2 से 4 के पिता स्व. श्री जेठाराम पुत्र पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी लेगों की ढाणी के नाम से खातेदारी में दर्ज व मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 व 2 से 4 के पिता स्व.श्री जेठाराम के देहान्त के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण संख्या 584 दिनांक 09.07.2020 को स्वीकृत किया गया, उक्त नामान्तरकरण पूर्णतया सही व विधि सम्मत होने के कारण अपीलार्थीगण की दोनों अपीले खारिज करने व नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 09.07.2020 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 584 ग्राम बम्बोर दर्जियान को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन विचारण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचते है कि ग्राम बम्बोर दर्जियान तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 42 में स्थित रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पिता स्व. श्री जेठाराम की खातेदारी की भूमि थी जिसमें से एक कृषि चक के रूप में बनाप 30 x 100 = 3000 वर्गफुट यानि 03.9 बिस्वा कृषि भूमि को अपीलार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पिता श्री जेठाराम वर्ष 2001 में अपीलार्थीगण द्वारा क्रय कर लिया गया। खातेदार जेठाराम के देहान्त के पश्चात उनके वारिसान द्वारा वर्ष 2020 में विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार करवा लिया गया। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त भूमि वर्ष 2001 में क्रय करने के पश्चात् लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने पर भी उनका नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं करवाया गया जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण वर्ष 2020 में स्वीकृत हुआ है। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पश्चात् वर्ष 2021 में अपीलार्थीगण द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किया जाने हेतु अपील पेश की गयी है। अपीलार्थीगण द्वारा देरी को माफ करने के लिए जो कारण बताये गये है, वे उचित व संतोषजनक नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा क्रय की गयी भूमि का समय पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं करवाया गया है। इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील पेश करने में हुई देरी कण्डोन किये जाने योग्य नहीं होने के कारण अपीलार्थीगण का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपीले मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य होने से नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 09.07.2020 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 584 ग्राम बम्बोर दर्जियान जिसके द्वारा खसरा संख्या 42 की भूमि का खातेदार जेठाराम के देहान्त पर उनके वारिसान के नाम से विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया पूर्णतया सही व विधि सम्मत होने के कारण उक्त अपीलों को मियाद बाहर मानकर अपीलार्थीगण की उक्त दोनों अपीले खारिज की जाती है तथा नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 09.07.2020 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 584 ग्राम बम्बोर दर्जियान को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति उक्त दोनों अपीलों की पत्रावली में पृथक पृथक संलग्न की जाय। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर (राज०)

Scanned by CamScanner